25-4-22

16-3-22

25-4-22 पत्रावली आज पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रा० दिनांक 10-5-22 को पेश हो।

10/5/22 पत्रावली आज पेश हुयी। वकील वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक रुक कर बार बार आवाजे लगवायी गयी। ना तो वकील वादी और ना ही स्वयं वादी उपस्थित हुये। अतः पत्रा० सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अदम पैरवी अदम हाजरी) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार हो [illegible] जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2022.05.11 15:08:26 IST
Reason: SelfAttested